

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट एवं न्याय निर्णयन अधिकारी, सिरौही
(पीठासीन अधिकारी: के.आर.खौड आर.ए.एस.)

आवेदक

राजस्थान राज्य जरिये श्री विनोद कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरौही

बनाम

प्रतिवादी/अभियुक्त

1. हंसमुख पुत्र धनराज जी, जाति- जैन, निवासी- सुभाष नगर, शिवगंज, तहसील- शिवगंज, जिला- सिरौही (खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक)
फर्म:- शाह ओटाजी चुन्नीलाल, मैन मार्केट, शिवगंज, जिला- सिरौही
2. कुलदीप सिंह (खाद्य कारोबारकर्ता एवं सप्लायर)
फर्म:- अम्बिका डिस्ट्रीब्यूटर्स, भैरु चौक, चौधरी कॉलोनी, सुमेरपुर, जिला- पाली
- 3/1. हरीराम अग्रवाल पुत्र श्री मोहनलाल अग्रवाल, निवासी- बछावतों का मोहल्ला, बडे बाजार के पास, बीकानेर (प्रोपराईटर एवं भागीदार निर्माता फर्म)
- 3/2. मदनलाल अग्रवाल पुत्र मोहनलाल अग्रवाल, निवासी- बछावतों का मोहल्ला, बडे बाजार के पास, बीकानेर (प्रोपराईटर एवं भागीदार निर्माता फर्म)
फर्म:- नवहारी फूड प्रोडक्टस् प्राईवेट लिमिटेड, एफ-210, बिछवाल इण्डस्ट्रीज एरिया, बीकानेर-334006

प्रकरण संख्या: 47/2021

“अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2(ii) एवं धारा- 51 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 ”

उपस्थिति:

अधिवक्ता श्री जगदीश कुमार, प्रतिवादी संख्या-2 (कुलदीप सिंह) की ओर से

-: निर्णय :-

दिनांक 25 मार्च, 2022

(1) संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं। आवेदक श्री विनोद कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने प्रतिवादीगण के विरुद्ध यह न्याय निर्णयन आवेदन इस न्यायालय में प्रस्तुत कर अनुरोध किया कि दिनांक 09.11.2020 को 6.00 पी.एम. पर फर्म शाह ओटाजी चुन्नीलाल, मैन मार्केट, शिवगंज, जिला- सिरौही पर गये। वहां पर खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक की हैसियत से हंसमुख पुत्र धनराज जी, जाति- जैन, निवासी- सुभाष नगर, शिवगंज, तहसील- शिवगंज, जिला- सिरौही उपस्थित मिले, जो आम जनता को खाद्य पदार्थ सोन पपड़ी (रजवाडी ब्राण्ड) का विक्रय करता है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने निरीक्षण के दौरान आम जनता के उपयोग आने वाले खाद्य पदार्थ सोन पपड़ी (रजवाडी ब्राण्ड) के अमानक होने का शक होने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत जांच हेतु नमूना लेने की इच्छा जाहिर की एवं दुकान के अन्दर विक्री हेतु मौजूद खाद्य पदार्थ सोन पपड़ी (रजवाडी ब्राण्ड) के 11 पैकड पैकेट (प्रत्येक 400 ग्राम) में से खाद्य पदार्थ सोन पपड़ी (रजवाडी ब्राण्ड) के 4 पैकड पैकेट (प्रत्येक 400 ग्राम) जांच हेतु खरीदे एवं सोन पपड़ी (रजवाडी ब्राण्ड) की कीमत राशि रुपये 600/- खाद्य कारोबारकर्ता को अदा कर खरीद बिल प्राप्त

.....पेज



अति. नि.स. अधिकारी
सिरौही-307001

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर लेबल तैयार कर लेबलों पर अभिहित अधिकारी के कोड व क्रमांक S-1263, दिनांक, स्थान, खाद्य पदार्थ का नाम आदि अंकित कर उस पर विक्रेता, गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने अपने हस्ताक्षर किये। चारों खरीद शुदा नमूना पाउचों पर एक-एक लेबल गोद से चिपकाया। चारों नमूना भागों को अलग अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरौही को हस्ताक्षरयुक्त पेपर स्लिप S-1263 को नियमानुसार गोद से चिपकाया, प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपड़ी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता/खाद्य कारोबारकर्ता व गवाहों के हस्ताक्षर करवाये एवं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये, फिर चारों नमूना भागों को अपने कब्जे/जापते में लेकर मौका फर्द रिपोर्ट तैयार की जिसे खाद्य कारोबारकर्ता हंसमुख व गवाहान ने पढ़ सुनकर, समझ कर सही मानकर हस्ताक्षर किये व मैंने स्वयं ने हस्ताक्षर किये। फर्द रिपोर्ट पर नमूने को सील करते समय काम में ली गई सील की छाप लगाई गई, फर्द रिपोर्ट मूल ही संलग्न है। फिर कार्यालय पहुँच कर फार्म नंबर 6 की 8 प्रतियां तैयार की व उन पर नमूने को सील करते समय काम में ली गई सील की छाप अंकित की, नमूने के चारों भागों के साथ फार्म नंबर 6 की एक एक प्रति लगाकर चारों नमूना भागों को अलग अलग आउटर कवर में बंद किया, मोटे मजबूत धागे से बांधा व नियमानुसार सील चपड़ी किया। फार्म नंबर 6 की दो प्रतियां अलग से दो लिफाफे में रखकर सील चपड़ी से सिलड किया एवं उस पर खाद्य विश्लेषक, जोधपुर का पता अंकित कर आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने दिनांक 10.11.2020 को नमूने का एक भाग एवं फार्म नं. 6 का एक सील बन्द लिफाफा श्री महेन्द्र कुमार, स्वीपर, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरौही के द्वारा खाद्य विश्लेषक, जोधपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की तथा दिनांक 09.11.2020 को शेष तीन सील बन्द नमूना भाग मय फार्म नं. 6 का सील बन्द लिफाफा अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी, सिरौही को मेरे द्वारा जमा करवाकर रसीद प्राप्त की जो असल संलग्न है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरौही से खाद्य पदार्थ सोन पपडी (रजवाडी ब्राण्ड) की जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई। प्राप्त जांच रिपोर्ट के अनुसार खाद्य कारोबारकर्ता हंसमुख से जांच हेतु लिया गया खाद्य पदार्थ सोन पपडी (रजवाडी ब्राण्ड) का नमूना S-1263 अमानक (Sub-standard) पाया गया है। इस प्रकरण से संबंधित समस्त मूल कागजात मय गजट नोटिफिकेशन, पदस्थापन आदेश, एरिया नोटिफिकेशन के साथे अभियोजन स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किये। अभिहित अधिकारी ने पत्रावली का अवलोकन व अध्ययन कर प्रतिवादीगण के द्वारा अमानक (Sub-standard) खाद्य पदार्थ सोन पपडी (रजवाडी ब्राण्ड) के विक्रय को उक्त अधिनियम की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन पाया जो धारा 51 के तहत जुर्माने योग्य अपराध होने से प्रतिवादीगण के विरुद्ध अभियोजन स्वीकृति जारी कर न्याय निर्णयन आवेदन प्रस्तुत करने हेतु प्राधिकृत किया गया है। प्रकरण में प्रतिवादीगण ने अमानक (Sub-standard) खाद्य पदार्थ सोन पपडी (रजवाडी

.....पेज तीन पर

अ. जिला अधिकारी
दिनांक-30/10/2021


ब्राण्ड) का विक्रय करके उक्त अधिनियम की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है। अतः प्रतिवादीगण पर उक्त अधिनियम की धारा 51 के तहत जुर्माना किया जावे।

(2) प्रस्तुत न्याय निर्णयन आवेदन दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को विधिवत नोटिस जारी कर तामिल करवाये गये। जिस पर प्रकरण की सुनवाई के दौरान नियत दिनांक 08.12.2021 को प्रतिवादी संख्या-1 (हंसमुख) ने इस न्यायालय में उपस्थित होकर लिखित जवाब प्रस्तुत कर अनुरोध किया कि दिनांक 09.11.2020 को खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री विनोद कुमार शर्मा द्वारा जो सोन पपडी का नमूना जांच हेतु लिया था वह नमूना जांच रिपोर्ट अनुसार सब स्टेण्डर्ड पाया गया है। वह नमूना मैंने बिक्री हेतु बिल संख्या 2314 दिनांक 30.10.2020 के द्वारा अम्बिका डिस्ट्रीब्यूटर्स से क्रय किया था। मैंने मंत्री ओर से इसमें कुछ नहीं मिलाया व पैकिंग अवस्था में ही क्रय किया था एवं पैकिंग अवस्था में ही विक्रय किया है, इसलिये मुझे इस प्रकरण में मुक्त किया जावे। प्रकरण में प्रतिवादी संख्या-2 (कुलदीप सिंह) की ओर से अधिवक्ता श्री जगदीश प्रजापत उपस्थित हुये एवं प्रतिवादी संख्या-2 की ओर से जवाब प्रस्तुत किया। प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 3/1 व 3/2 तथा निर्माता फर्म नवहारी फूड प्रोडक्टस् प्रा.लि. को नोटिस की तामिल होने के बावजूद इनकी ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ।

(3) प्रकरण में बहस हेतु नियत तिथि 08.3.2022 को आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी उपस्थित नहीं हुये। प्रतिवादी संख्या-2 (कुलदीप सिंह) के अधिवक्ता की बहस सुनी गई, जिन्होंने बहस में यह व्यक्त किया कि प्रतिवादी कुलदीप सिंह को फर्म अम्बिका डिस्ट्रीब्यूटर्स, भैरुचौक, सुमेरपुर द्वारा सोनपपडी (रजवाडी ब्राण्ड) के 400-400 ग्राम के पैकड पैकेट निर्माता फर्म नवहारी फूड प्रोडक्टस् प्रा.लि., एफ-210 बिछवाल इण्डस्ट्रीयल एरिया, बीकानेर से पैकिंग अवस्था में क्रय कर पैकिंग अवस्था में प्रतिवादी हंसमुख की फर्म शाह ओटाजी चुन्नीलाल, मैन मार्केट, शिवगंज को विक्रय किये है, इसलिये अमानक खाद्य पदार्थ सोन पपडी (रजवाडी ब्राण्ड) के निर्माण, पैकिंग व विक्रय हेतु निर्माता फर्म नवहारी फूड प्रोडक्टस् प्रा.लि. ही जिम्मेदार है, इसलिये प्रतिवादी कुलदीप सिंह को इस प्रकरण से मुक्त किया जावे।

(4) प्रकरण में सुनी गई बहस पर मनन किया गया एवं न्यायालय पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया तो यह पाया गया कि दिनांक 09.11.2020 को 6.00 पी.एम. पर आवेदक श्री विनोद कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय अधिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरौही खाद्य पदार्थों के निरीक्षण हेतु फर्म शाह ओटाजी चुन्नीलाल, मैन मार्केट, शिवगंज, जिला- सिरौही पर गये। उक्त फर्म शाह ओटाजी चुन्नीलाल, मैन मार्केट, शिवगंज में खाद्य कारोबारकर्ता व मालिक की हैसियत से हंसमुख पुत्र धनराज जी जैन, जाति-जैन, निवासी- सुभाषनगर, शिवगंज, जिला- सिरौही उपस्थित मिले, जो आम जनता को खाद्य पदार्थ सोनपपडी (रजवाडी ब्राण्ड) का विक्रय करता है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने फर्म शाह ओटाजी चुन्नीलाल, मैन मार्केट, शिवगंज के निरीक्षण के दौरान आम जनता के उपयोग में आने वाले खाद्य पदार्थ सोनपपडी (रजवाडी ब्राण्ड) के अमानक स्तर का


....पेज चार पर



a
जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी
सिरौही-307001.

शक होने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत जांच हेतु नमूना क़य करने की सूचना उपस्थित गवाह श्री विशाल सिंह, वार्ड बॉय, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरौही एवं श्री लक्ष्मण सिंह, प्रतिनिध, सरस डेयरी, अनादरा रोड, सिरौही के समक्ष खाद्य कारोबारकर्ता हंसमुख को प्रपत्र संख्या 5ए में भरकर दी एवं रसीद प्राप्त की। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने गवाहान के समक्ष दुकान के आलमारी की रैक में विक्री हेतु रखे हुए खाद्य पदार्थ सोन पपडी (रजवाडी ब्राण्ड) के 11 पैकड पैकेट (प्रत्येक 400 ग्राम) में से खाद्य पदार्थ सोन पपडी (रजवाडी ब्राण्ड) के 4 पैकड पाउचेज (प्रत्येक 400 ग्राम) नमूना जांच हेतु क़य किये एवं उसकी कीमत राशि 600/- (अक्षरों रुपये छः सौ मात्र) विक्रेता हंसमुख को नकद अदा कर खरीद बिल प्राप्त किया। प्रपत्र संख्या 5ए नमूना खरीद रसीद बिल मूल ही न्यायालय पत्रावली पर उपलब्ध है जिन पर खाद्य कारोबारकर्ता हंसमुख, गवाहान एवं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी के हस्ताक्षर किये हुये हैं। तत्पश्चात् आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर लेबल तैयार कर लेबलों पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरौही के कोड एवं क्रमांक S-1263, दिनांक, खाद्य पदार्थ का नाम, नमूना लेने का स्थान आदि अंकित कर प्रत्येक लेबल पर खाद्य कारोबारकर्ता हंसमुख व गवाहों के हस्ताक्षर करवाये एवं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये एवं खरीद शुदा चारों नमूना पाउचेज पर एक-एक लेबल गोद से चिपकाया तथा चारों नमूना भागों को अलग अलग कागज में लपेट कर प्रत्येक नमूना भाग पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरौही की हस्ताक्षरयुक्त पेपर स्लिप S-1263 को नियमानुसार गोद से चिपकया व प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर खाद्य कारोबारकर्ता व गवाहान के हस्ताक्षर कराये और आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। तत्पश्चात् उक्त चारों नमूनों भागों को आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने अपने कब्जे/जापते में लिया व मौके पर मौका फर्द तैयार की गई। मौका फर्द रिपोर्ट पर खाद्य कारोबारकर्ता हंसमुख, उक्त गवाहों एवं खाद्य सुरक्षा अधिकारी के हस्ताक्षर किये हुये हैं। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत मूल दस्तावेज फार्म नम्बर 5ए, खाद्य पदार्थ क़य का बिल एवं मौका फर्द आदि दस्तावेजों के अवलोकन से यह तथ्य स्पष्ट है कि प्रकरण में खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा फर्म शाह ओटाजी चुन्नीलाल, मैन मार्केट, शिवगंज, जिला- सिरौही में खाद्य कारोबारकर्ता एवं विक्रेता हंसमुख से खाद्य पदार्थ सोन पपडी (रजवाडी ब्राण्ड) को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच क़य करने की कार्यवाही विधिवत की गई है।

तत्पश्चात् आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खाद्य पदार्थ सोन पपडी (रजवाडी ब्राण्ड) के चारों नमूना भागों को साथ लेकर कार्यालय पहुँचकर फार्म नम्बर-6 की 8 प्रतियां तैयार की एवं उस पर नमूने को सीलड करते समय काम में ली गई सील की छाप अंकित की तथा चारों नमूना भागों के साथ फार्म नम्बर-6 की एक एक प्रति लगाकर चारों नमूना भागों को प्रत्येक को अलग अलग आउटर कवर में बंद किया व धागे से बांधकर नियमानुसार सील चपडी किया। फार्म नम्बर- 6 की दो-दो प्रतियां अलग से दो लिफाफे में रखकर सिल चपडी से सिलड किया। तत्पश्चात् आवेदक खाद्य
.....पेज पांच पर


 सिरौही - 307001.


सुरक्षा अधिकारी ने दिनांक 10.11.2020 को नमूने का एक भाग एवं फार्म नम्बर-6 का एक सील बन्द लिफावा श्री महेन्द्र, स्वीपर, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरौही के द्वारा खाद्य विश्लेषक, जोधपुर को वास्ते जांच जमा करवाकर रसीद प्राप्त की, जो पत्रावली पर उपलब्ध है एवं उस पर खाद्य विश्लेषक, जोधपुर की नमूना प्राप्ति की रसीद अंकित है। साथ ही, नमूने के द्वितीय, तृतीय व चतुर्थ भाग व फार्म नं. 6 का सील बन्द लिफावे को आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरौही को दिनांक 09.11.2020 को जमा कराकर रसीद प्राप्त की गई। विचारणीय प्रकरण में खाद्य पदार्थ सोन पपड़ी (रजवाडी ब्राण्ड) के नमूना संख्या S-1263 की खाद्य विश्लेषक, जोधपुर द्वारा प्रस्तुत विश्लेषण रिपोर्ट क्रमांक:L.S./883/Act/2020/882 दिनांक 16.12.2020 के अनुसार आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा फर्म शाह ओटाजी चुन्नीलाल, मैन मार्केट, शिवगंज, जिला- सिरौही में खाद्य कारोबारकर्ता हंसमुख से वास्ते जांच कय किया गया खाद्य पदार्थ सोन पपड़ी (रजवाडी ब्राण्ड) का नमूना S-1263 अमानक (Sub-standar) पाया गया है, जो खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन है एवं धारा 51 के तहत जुर्माने योग्य अपराध है।

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों से यह भी स्पष्ट है कि अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरौही के पत्र क्रमांक:एफएसएसए/2021/69-72 दिनांक 05.1.2021 से खाद्य विश्लेषक, जोधपुर की जांच रिपोर्ट की प्रति प्रतिवादी हंसमुख व निर्माता फर्म नवहारी फूड प्रोडक्ट्स प्रा.लि., एफ-210 बिछवाल इण्डस्ट्रीयल एरिया, बीकानेर को प्रेषित कर पत्र प्राप्ति के 30 दिवस के भीतर अपील आवेदन प्रारूप 8 में प्रस्तुत करने हेतु सूचित किया गया है, लेकिन संबंधित ने अभिहित अधिकारी को अपील आवेदन प्रस्तुत नहीं किया। पत्रावली के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि प्रतिवादी संख्या-1 (हंसमुख) की फर्म शाह ओटाजी चुन्नीलाल, मैन मार्केट, शिवगंज द्वारा खाद्य पदार्थ सोन पपड़ी (रजवाडी ब्राण्ड) के 400-400 ग्राम के पैकड पैकेटों को फर्म अम्बिका डिस्ट्रीब्यूटर्स, भैरु चौक, सुमेरपुर, जिला- पाली से टेक्स इनवोईस बिल नम्बर 2314 दिनांक 30.10.2020 से क्रय किये थे, जो प्रतिवादी संख्या-2 (कुलदीप सिंह) की फर्म है। प्रतिवादी संख्या-2 (कुलदीप सिंह) की फर्म अम्बिका डिस्ट्रीब्यूटर्स, भैरु चौक, सुमेरपुर, जिला- पाली द्वारा खाद्य पदार्थ सोन पपड़ी (रजवाडी ब्राण्ड) के 400-400 ग्राम के पैकड पैकेटों को फर्म नवहारी फूड प्रोडक्ट्स प्रा.लि., एफ-210 बिछवाल इण्डस्ट्रीयल एरिया, बीकानेर से टेक्स इनवोईस नम्बर R-3601 दिनांक 03.10.2020 के द्वारा क्रय किये थे, जो खाद्य पदार्थ सोन पपड़ी (रजवाडी ब्राण्ड) की निर्माता फर्म है। इस प्रकार, अमानक (Sub-standard) खाद्य पदार्थ सोन पपड़ी (रजवाडी ब्राण्ड) के निर्माण, पैकिंग एवं विक्रय हेतु खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 27 के अनुसार निर्माता फर्म NAVHARI FOOD PRODUCTS PVT. LTD. दोषी है।

अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 68 की उपधारा-(1) के तहत राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक प.1(2)कार्मिक/क-4/08 दिनांक 05.4.2012 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 कीपेज छः पर


भा.त. जिला मजिस्ट्रेट
सिरौही-307001.

धारा- 51 के तहत अमानक (Sub-standard) खाद्य पदार्थ सोन पपडी (रजवाडी ब्राण्ड) के निर्माण, पैकिंग व विक्रय हेतु निर्माता फर्म NAVHARI FOOD PRODUCTS PVT. LTD., F-210, BICHHWAL INDUSTRIAL AREA, BIKANER-334006 (Raj.) पर राशि रुपये 20,000/- (अक्षरे रुपये बीस हजार मात्र) की शास्ति (Penalty) अधिरोपित की जाती है। निर्माता फर्म NAVHARI FOOD PRODUCTS PVT. LTD. के भागीदार प्रतिवादी संख्या 3/1 व 3/2 को आदेशित किया जाता है कि निर्माता फर्म NAVHARI FOOD PRODUCTS PVT. LTD. पर अधिरोपित शास्ति (Penalty) की राशि का राष्ट्रीयकृत बैंक से न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, सिरौही के पक्ष में अलग-अलग Crossed Demand Draft जिसका भुगतान सिरौही शहर में प्राप्त किया जा सके बनवाकर न्याय निर्णय अधिकारी एवं अति० जिला मजिस्ट्रेट, सिरौही के कार्यालय में 30 दिवस के भीतर जमा करवाये। निर्णय सुनाया गया।



(के.आर.खौड)
(के.आर.खौड)

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अति० जिला मजिस्ट्रेट, सिरौही